:: न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0,ग्वालियर ::

समक्ष

डॉ0 एम0के0अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरारनी / 391 / एक / 2016–विरूद्ध आदेश दिनांक 26.12.2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी,मुंगावी–प्रकरण क्रमांक 28 / बी–121 / 2015–16।

1. पानबाई वेवा पत्नी शंकरसिंह,जाति अहिरवार
   आयु 65 साल।
2. कुंदनसिंह पुत्र स्व0 शंकरसिंह आयु 48 साल।
3. सुल्तानसिंह पुत्र शंकरसिंह आयु 45 साल।
4. जसपालसिंह पुत्र शंकरसिंह आयु 36 साल।
   जाति अहिरवार,समस्त निवासीगण ग्राम बेरखेडी
   सभी का धंधा खेती,तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर
   म0प्र0।
5. राजबाई पुत्री शंकरसिंह पत्नी लालाराम आयु 38साल
   जाति अहिरवार,निवासी हाल आर0टी0ओ0 आफिस के पास
   अशोकनगर,म0प्र0।
6. कृष्णाबाई पुत्री शंकरसिंह पत्नी तुलसीराम
   आयु 34 साल,जाति अहिरवार,निवासी ग्रांम तहतपुर
   पोस्ट ढाकोनी तहसील ईसागढ जिाल अशोकनगर,म0प्र0। ———निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. हरचन्दीलाल पुत्र उमरावसिंह चौहान,जाति अहिरवार
   आयु 50 साल,निवासी फूटी चौकी के पास,लक्ष्मनपुरा
   तानसेन रोड,ग्वालियर,म0प्र0।
2. म0प्र0शासन। ———गैरनिगरानीकर्तागण

1. श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक————————————निगरानीकर्तागण के लिये।
2. श्री एस0पी0धाकड, अभिभाषक————————————गैरनिगरानीकर्ता–1 के लिये।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 18-5-18 को पारित)

यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के प्रकरण क्रमांक 28/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 26.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष गैरनिगरानीकर्ता–1 हरचन्दीलाल के भतीजे लाखनसिंह पुत्र कन्छेदीलाल निवासी बेरखेडी के द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 11 में पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 06.11.2015 पर स्टे चाहने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र के साथ राजस्व न्यायालयों एवं माननीय व्यवहार न्यायालय, अपर जिला न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/बी–121/2015–16 पंजीवद्ध करते हुये आदेश दिनांक 24.11.2015 से नामान्तरण पंजी क्रमांक 11 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 को पुनर्विलोकन में लेना आवश्यक मानते हुये म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनर्विलोकन अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी,मुंगावली के न्यायालय में भेजा गया। अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली द्वारा आदेश दिनांक 26.12.2015 से संहिता की धारा 51 के अंतर्गत प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गयी। उक्त आदेश दिनांक 26.12.2015 से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्धान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4. निगरानीकर्तागणों के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क प्रायः उन्ही विन्दुओं के आधार पर प्रस्तुत किये गये है, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क पेश किये गये कि ग्राम बेरखेडी में स्थित प्रश्नाधीन भूमि निगरानीकर्ता–1 के पति एवं 2 लगायत 6 के पिता शंकरसिंह के नाम राजस्व अभिलेख में स्वामित्व एवं आधिपत्य के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज चली आ रही थी। शंकरसिंह का स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रश्नाधीन भूमि पर निगरानीकर्तागण के नाम फौती नामान्तरण नामान्तरण पंजी क्रमांक 11 दिनांक 24.09.2015 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 से प्रमाणित हो चुका है। निगरानीकर्तागण के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया है कि नामान्तरण आदेश दिनांक 06.11.2015 से यदि गैरनिगरानीकर्ता–1 को कोई परिवेदना थी, तो उसे संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश कर सकते थे,किन्तु जिस आदेश की अपील हो सकती थी, उक्त आदेश को स्टे किये जाने का आवेदन पत्र पेश किया गया। यह भी बताया कि जिस व्यक्ति के द्वारा आवेदन पत्र पेश किया गया है,वह भूमिस्वामी भी नही है और उसका कोई हित निहित नही है। हरचन्दीलाल को ही आवेदन पत्र पेश करना चाहिये था। निगरानीकर्तागण के विद्धान अभिभाषक ने यह भी बताया है कि अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के द्वारा प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति

प्रदान करने से पहिले न तो निगरानीकर्तागण को कोई सूचना दी गयी और न ही उन्
साक्ष्य अथवा सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया है। जबकि संहिता की धार
51 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी भी आदेश को तब तक फेरफरित नहं
किया जाएगा या उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि हितवद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथ
ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गई हो। विचारण न्यायालय एव
अनुविभागीय अधिकारी,मुंगावली द्वारा निगरानीकर्तागण को न तो कोई सूचना दी और न ही
सुनवाई का पर्याप्त अवसर ही दिया गया। इस प्रकार पारित आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों
के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जावे तथा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5. गैरनिगरानीकर्ता के विद्धान अभिभाषक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि निगरानीकर्ता–1 के पति एवं 2 लगायत 6 के पिता राजस्व न्यायालयों एवं माननीय व्यवहार न्यायालयों, माननीय उच्च न्यायालय तक कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सके हैं। इन आदेशों को निगरानीकर्तागण के द्वारा छुपाकर ही फौती नामान्तरण करा लिया है,जिसकी जानकारी विचारण न्यायालय के संज्ञान में आने के कारण ही विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में नामान्तरण आदेश दिनांक 06.11.2015 को निरस्त करने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी,मुंगावली से पुनर्विलोकन किये जाने की अनुमति चाही गई थी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी समस्त दस्तावेजों का परीक्षण किये जाने के बाद ही पुनर्विलोकन अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी,मुंगावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2015 विधिसम्मत आदेश है,जिसे यथावत रखा जाकर प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6. मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्धान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल पक्षकार हरचन्दीलाल के द्वारा आवेदन पत्र पेश न करते हुये उसके भतीजे लाखनसिंह पुत्र कन्छेदीलाल निवासी बेरखेडी के द्वारा नामांकन पंजी क्रमांक 11 पर दिनांक 06.11.2015 को पारित आदेश पर स्टे हेतु पेश किया गया है। साथ में राजस्व न्यायालयों एवं माननीय व्यवहार न्यायालयों व उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां पेश की गयी है।

अभिलेख के अवलोकन से यह प्रकट है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदन पत्र किसके द्वारा पेश किया गया मुद्दा यह नही है बल्कि मुद्दा यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी,मुंगावली द्वारा संहिता की धारा 51 की उपधारा (1) के परन्तुक खण्ड (एक) (क) का पालन सुनिश्चित किया गया है या नहीं। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा (एक) (एक–क) में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि किसी भी आदेश को तब तक फेरफरित नहीं किया जाएगा या उल्टा नहीं जाएगा जब तक कि हितवद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 24.11.2015 को विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी,मुंगावली को प्रेषित किया गया और अनुविभागीय अधिकारी,मुंगावली द्वारा दिनांक 26.12.2015 को प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति संहिता की धारा 51 के अंतर्गत प्रदान की गयी। न तो

विचारण न्यायालय द्वारा और न ही अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निगरानीकर्तागण जो कि अभिलिखित भूमिस्वामी के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं, उन्हें किसी प्रकार से सुने जाने अथवा सूचना दी जाना आवश्यक नहीं समक्षा गया। स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के द्वारा संहिता की धारा 51 का स्पष्टता उलंघन किया गया है। इस संबंध में 2015 रे0नि0 कैरी कुशवाह (मुस0) विरूद्ध शिवपाल केवट में राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पुनर्विलोकन चाहे स्वप्रेरणा से किया जाऐ चाहे आवेदन पर उपधारा (1) के परन्तुक खण्ड (एक) (क) के अनुसार मूल आदेश को तब तक फेरफरित किया या उल्टा नहीं जा सकता, जब तक उसमें हितवद्ध समस्त पक्षों को उनके समर्थन में उपस्थित होने तथा सुने जाने का अवसर नहीं दिया जाता। इसके साथ साथ गैरनिगरानीकर्ता–1 के द्वारा पुनर्विलोकन हेतु कोई आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में नही दिया गया। विचारण न्यायालय में श्री लाखनसिंह वल्द कन्छेदीलाल ग्राम बेरखेडी ने नामांतरण पंजी 11 पर दिनांक 06.11.2016 को पारित आदेश पर स्टे हेतु आवेदन पत्र दिया था तथा पुनर्विलोकन हेतु कोई आवेदन पत्र नही दिया गया था। यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में श्री लाखनसिंह पुत्र श्री कन्छेदीलाल ग्राम बेरखेडी कोई हितवद्ध पक्षकार नही है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली द्वारा पारित पुनर्विलोकन आदेश दिनांक 26.12.2015 स्वतः ही दूषित एवं अवैध हो जाता है, जिसे इस निगरानी में स्थिर रखे जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी,मुंगावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2015 विधिसम्मत न होने, संहिता की धारा 51 में दिये गये प्रावधान एवं राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाता है और प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। गैरनिगरानीकता–1 नामांतरण पंजी क्रमांक 11 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2015 के विरूद्ध अपील आदि की कार्यवाही करने एवं राहत प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0 के0 अग्रवाल)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0,ग्वालियर